फा.सं.14014/1/2018-जीसी (9094)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

***

निर्माण भवन, नई दिल्ली,

दिनांक: 28 फरवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: दिसंबर, 2018 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के मुख्य कार्यकलापों और विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त दिनांक 17.08.2018 और 11.10.2018 के कार्यालय-ज्ञापन 1/26/1/2018-कैब का उल्लेख करने और दिसंबर, 2018 के लिए **भूमि संसाधन विभाग** से संबंधित मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

(सरोज जैसिया)

निदेशक (समन्वय)

दूरभाष: 011-23062698

सेवा में

1. मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सभी सचिव, भारत सरकार।
6. भास्कर दास गुप्ता, निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
7. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करने के लिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

****

दिसंबर, 2018 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के मुख्य कार्यकलापों और विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों का मासिक सार।

दिसंबर, 2018 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के मुख्य कार्यकलापों और विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों का मासिक सार नीचे दिया गया है:

1. एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, जिसे बाद में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई में मिला दिया गया, के तहत 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर) में 2009-10 से 2014-15 के दौरान 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इस स्कीम के तहत वाटरशेड विकास हेतु इस वित्त वर्ष (दिसंबर, 2018 तक) के दौरान राज्यों को 1065.34 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। 31.12.2018 तक 1733 परियोजनाओं के पूरा होने की रिपोर्टें प्राप्त हुईं।
2. पीएमकेएसवाई परिषद की चौथी बैठक 14.12.2018 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भूमि संसाधन विभाग की ओर से विशेष सचिव (एलआर) ने इस बैठक में भाग लिया।
3. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत व्यय की धीमी गति के संबंध में 27.12.2018 को एसएलएनए महाराष्ट्र के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
4. मंत्रियों के समूह ने 19.12.2018 को आयोजित अपनी बैठक में रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 में कतिपय संशोधनों की सिफारीश की। तदनुसार, संबंधित मंत्रालयों और विभागों की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु 'रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 में शासकीय संशोधन प्रस्तुत करने पर' 27.12.2018 को मंत्रिमंडल हेतु प्रारूप नोट परिचालित किया गया।
5. सचिव, भूमि संसाधन ने दिल्ली और मुम्बई के संबंध में 'व्यापार करना आसान बनाना- संपत्ति को रजिस्टर करना' के तहत विश्व बैंक की "व्यापार करना संबंधी रिपोर्ट" पर 04.12.2018 को विश्व बैंक के दल के साथ बैठक की अध्यक्षता की जिसमें इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि प्रणाली के प्रयोक्ता आधार पर आधारित फीडबैक हेतु हितधारकों को चिन्हित किया जाए। यदि व्यवहार्य हो प्रतिक्रिया देने वाले हितधारकों के फीडबैक के दायरे को बढ़ाकर इसमें ऐसे सीधे लाभार्थी हितधारकों को शामिल किया जाए जिन्होंने स्वयं संपत्तियों को रजिस्टर करवाने की

सेवाओं का वास्तव में लाभ उठाया है ताकि इस प्रक्रिया में जमीनी वस्तु-स्थिति को शामिल किया जा सके।

6. इसके बाद दिल्ली में 'व्यापार करना आसान बनाना- संपत्ति को रजिस्टर करना' के तहत विश्व बैंक की "व्यापार करना संबंधी रिपोर्ट" पर की गई/किए जाने हेतु कार्रवाई की प्रगति पर विचार करने और उसकी समीक्षा करने हेतु 11.12.2018 को सचिव, भूमि संसाधन विभाग की सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ बैठक हुई जिसमें डीडीए, एनडीएमसी और तीनों एमसीडी सहित सभी हितधारकों ने भाग लिया।

7. विभाग में प्रारूप "हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) संशोधन विधेयक, 2018" की जांच की गई और गृह मंत्रालय को 26.12.2018 के कार्यालय-ज्ञापन द्वारा विभाग के विचार प्रेषित किए गए हैं।

8. "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996" और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के संबंध में भूमि से संबद्ध मुद्दों पर विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित की गई है जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों जैसे पंचायती राज, जनजातीय कार्य, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण विकास, विधि कार्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के सदस्य और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि (बारी-बारी आधार पर) शामिल हैं।

9. माह के दौरान 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' पहल के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकारों/हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

****